भारतीय जनता पार्टी

झारखंड प्रदेश

कार्यालय : डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन, एम–7, हरमू हाऊसिंग कॉलोनी, राँची–834002 :: दूरभाष : 0651–2246377 / 99

शिवपूजन पाठक
मीडिया प्रभारी
9431586012

दिनांक 20.09.2018

प्रकाशनार्थ

तीन तलाक पर मोदी सरकार के द्वारा कैबिनेट से पारित अध्यादेश मुस्लिम महिलाओं के लिए एक संवैधानिक संबल है। यह मुस्लिम महिलाओं के लिए स्वाभिमान और सम्मान से जुड़ा हुआ है। यह बात भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुश्री मिसफीका हसन ने आज प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक प्रेसवार्ता को सम्बोधित करते हुए कही।

सुश्री हसन ने कहा कि मोदी सरकार ने तीन तलाक बील पर बड़ा फैसला लिया है। केन्द्रीय कैबिनेट ने बुधवार को तीन तलाक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में गैरकानूनी घोषित किए जा चुके तलाक–ए–बिद्दत को दंडनीय अपराध बनाने वाले बील को कानून के रूप में मंजूरी देने वाले अध्यादेश पर बुधवार देर रात मा. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। अध्यादेश के प्रावधानों के मुताबिक अगर पीड़ित महिला या उसके करीबी रिश्तेदार ने खुद शिकायत दर्ज कराई तो इसे संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कृत संकल्पित है। आजादी के 7 दशक बाद और संविधान में मौलिक अधिकारों का जिक्र किए जाने के बाद भी तीन तलाक दिया जाना शर्मनाक है। चूंकि विपक्ष ने वोट बैंक की राजनीति के लिए इससे जुड़े बील पर समर्थन नहीं दिया। इसलिए अध्यादेश लाना सरकार की मजबूरी थी, यह मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उठाया गया बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि तलाक–ए–बिद्दत (तीन तलाक) का समर्थन कुरान–ए–पाक भी नहीं करता। सूरः बकरह, आयत 229 में बताया गया है कि शौहर को तलाक देने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उसे पहले अपनी बीवी को समझाने की कोशिश करनी चाहिए, आपस में सुलह न हो तो तलाक का कदम उठाना चाहिए।

सुश्री हसन ने कहा कि कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टी ने हमेशा वोट बैंक की राजनीति की है और मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारों का हनन किया है। इसका उदाहरण शाह बानो का केस है जिसमें राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम महिला (तलाक अधिकार संरक्षण) विधेयक 1986 लाकर तलाक देने की सूरत में पति को तीन महीने के बाद गुजारा भत्ता नहीं देने की छूट दी थी। तीन तलाक विश्व भर के 22 देशों और 8 मुस्लिम देशों में प्रतिबंधित है और अब यह भारत में भी दंडनीय अपराध है जो कि स्वागत योग्य कदम है।

शिवपूजन पाठक